

विनियमन कार्यान्वयन आयोग (ईयू) 2023/121**17 जनवरी 2023****कुछ उत्पादों को अधिकृत करने वाले कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 में संशोधन और सुधार करना
जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए पदार्थों का चयन और उनकी सूची तैयार करना**

यूरोपीय आयोग,

यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि को ध्यान में रखते हुए,

जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों की लेबलिंग पर यूरोपीय संसद और परिषद के 30 मई 2018 के विनियमन (ईयू) 2018/848 को ध्यान में रखते हुए और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 को निरस्त करते हुए ⁽¹⁾, और विशेष रूप से इसके अनुच्छेद 24(9),

जबकि:

- (1) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 24(7) में प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार, सदस्य राज्यों ने अन्य सदस्य राज्यों और आयोग को कुछ पदार्थों पर डोजियर प्रस्तुत किए हैं, आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 के अनुलग्नक I, II, III और V में उनके प्राधिकरण और समावेशन के मद्देनजर ⁽²⁾ उन दस्तावेजों की जांच जैविक उत्पादन पर तकनीकी सलाह के लिए विशेषज्ञ समूह (ईजीटीओपी) और आयोग द्वारा की गई है।
- (2) पौध संरक्षण उत्पादों में निहित सक्रिय पदार्थों के संबंध में अपनी सिफारिशों में ⁽³⁾, ईजीटीओपी ने सिफारिश की कि टैल्क E553b पदार्थ को जैविक उत्पादन में स्वीकृत मूल पदार्थों में शामिल किया जाए। ईजीटीओपी ने जैविक खेती में उपयोग किए जाने वाले कम जोखिम वाले सक्रिय पदार्थों में निम्नलिखित को भी शामिल करने की सिफारिश की: (i) एबीई-आईटी 56, बशर्ते कि यह न तो जीएमओ उपभेदों से प्राप्त किया गया हो और न ही जीएमओ मूल के बढ़ते माध्यम का उपयोग करके; (ii) 'फेरिक पाइरोफॉस्फेट' और (iii) 'मीठे के अंकुरित बीजों से जलीय अर्कल्यूमिनस अल्बस'. इसलिए, उन पदार्थों के उपयोग को अधिकृत किया जाना चाहिए।
- (3) ईजीटीओपी ने आगे सिफारिश की कि विशिष्ट आकर्षक पदार्थों वाले जाल में डेल्टामेथ्रिन का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए *Rhagoletis completa*. इसलिए, डेल्टामेथ्रिन के इस प्रयोग को इसकी विशिष्ट शर्तों और सीमाओं के तहत अधिकृत किया जाना चाहिए।
- (4) उर्वरकों, मृदा कंडीशनरों और पोषक तत्वों के संबंध में ईजीटीओपी की सिफारिशों के आधार पर ⁽³⁾, निम्नलिखित पदार्थों के उपयोग को अधिकृत किया जाना चाहिए: (i) पुनर्प्राप्त स्ट्रुवाइट और अवक्षेपित फॉस्फेट लवण, बशर्ते कि वे यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2019/1009 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हों ⁽⁴⁾ और स्रोत सामग्री के रूप में पशु खाद फैक्ट्री फार्मिंग मूल की नहीं है; (ii) प्राकृतिक मूल का पोटेशियम क्लोराइड (पोटाश का म्यूरेट); और (iii) बंद प्रणालियों में भूमि पर शैवाल उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला सोडियम नाइट्रेट।

(1) ओजे एल 150, 14.6.2018, पृ. 1.

(2) 15 जुलाई 2021 का आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए कुछ उत्पादों और पदार्थों को अधिकृत करता है और उनकी सूची स्थापित करता है (ओजे एल 253, 16.7.2021, पृष्ठ 13)।

(3) उर्वरक IV और पौध संरक्षण उत्पाद VI पर ईजीटीओपी अंतिम रिपोर्ट और पौध संरक्षण उत्पाद VII और उर्वरक V पर ईजीटीओपी अंतिम रिपोर्ट: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(4) यूरोपीय संसद और 5 जून 2019 की परिषद का विनियमन (ईयू) 2019/1009, जो ईयू उर्वरक उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने के नियम निर्धारित करता है और विनियमन (ईसी) संख्या 1069/2009 और (ईसी) संख्या 1107/2009 को संशोधित करता है और विनियमन (ईसी) संख्या 2003/2003 को निरस्त करता है (ओजे एल 170, 25.6.2019, पृष्ठ 1)।

- (5) फ़ीड के संबंध में ईजीटीओपी की सिफारिशों के आधार पर (५), निम्नलिखित पदार्थों के उपयोग को अधिकृत किया जाना चाहिए: (i) खनिज मूल की फ़ीड सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने वाला मोनोडिकैलशियम फॉस्फेट; (ii) से प्राप्त पदार्थों के अतिरिक्त सैकरोमाइसिस सेरेविसिया या सैकरोमाइसिस कार्ल्सबर्गोसिस, सभी अधिकृत खमीर और खमीर उत्पाद जिनका उपयोग आहार सामग्री के रूप में किया जाता है; (iii) कार्यात्मक समूह 'इमल्सीफायर, स्टेबलाइजर, गाढ़ा करने वाले और जेलिंग एजेंट' के अंतर्गत तकनीकी आहार योज्य के रूप में प्रयुक्त जैन्थन गम; (iv) कार्यात्मक समूह 'बाइंडर और एंटी-केकिंग एजेंट' के अंतर्गत तकनीकी आहार योज्य के रूप में प्रयुक्त इलाइट-मोर्टमोरिलोनाइट-काओलिनाइट और सेपियोलिटिक मिट्टी; और (v) नए कार्यात्मक समूह 'माइकोटॉक्सिन द्वारा आहार के संदूषण को कम करने वाले पदार्थ' के अंतर्गत तकनीकी आहार योज्य के रूप में प्रयुक्त बेटोनाइट।
- (6) फ़ीड के संबंध में ईजीटीओपी की आगे की सिफारिश के आधार पर (६), बीटाइन एनहाइड्रस को वर्तमान में कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 में केवल मोनोगैस्ट्रिक पशुओं के लिए अधिकृत किया गया है। हालाँकि, ईजीटीओपी की सिफारिश मुरगी, सूअर और मछली के लिए पोषण संबंधी योजक के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीटाइन एनहाइड्रस से संबंधित एक फ़ाइल पर आधारित थी। इसलिए, मछलियों को खिलाने के लिए भी बीटाइन एनहाइड्रस को अधिकृत किया जाना चाहिए।
- (7) पालतू पशुओं के भोजन के संबंध में ईजीटीओपी की सिफारिशों के आधार पर (७), निम्नलिखित पदार्थों के उपयोग को अधिकृत किया जाना चाहिए: (i) पेटासोडियम ट्राइफॉस्फेट (एसटीपीपी) और डिसोडियम डाइहाइड्रोजन डाइफॉस्फेट (एसएपीपी) जो खनिज मूल की फ़ीड सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है; (ii) कैरेजेनन; (iii) टिड्डी बीन गम (कैरोब गम), बशर्ते कि टिड्डी बीन गम को भूनने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है (iv) बबूल (गोद अरबी), जिसका उपयोग जेलिंग एजेंट और/या पायसीकारी के रूप में किया जाता है; (v) टॉरिन का उपयोग बिल्लियों और कुत्तों के लिए पोषण संबंधी योज्य के रूप में किया जाता है; और (vi) अमोनियम क्लोराइड का उपयोग बिल्लियों के लिए जूटेक्निकल योज्य के रूप में किया जाता है।
- (8) भोजन के संबंध में ईजीटीओपी की सिफारिशों के आधार पर (८), निम्नलिखित पदार्थों के उपयोग को अधिकृत किया जाना चाहिए: (i) स्वचालित पेय वितरण मशीनों में कोको पाउडर के लिए एंटी-केकिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला सिलिकॉन डाइऑक्साइड; और (ii) पौधे से उत्पन्न खाद्य के उत्पादन में रोगाणुरोधी के रूप में पाइन रोसिन अर्क और हॉप अर्क।
- (9) विनियमन (ईयू) 2021/1165 के अनुसार, 1 जनवरी 2023 से जेलन गम का उपयोग केवल तभी अधिकृत है जब वह जैविक उत्पादन से प्राप्त हो। हालाँकि, जैविक उत्पादन से प्राप्त जेलन गम की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है। संचालकों को अपना खाद्य उत्पादन जारी रखने की अनुमति देने के लिए, इस आवश्यकता के आवेदन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।
- (10) ग्वार गम E 412 को कार्यान्वयन विनियमन (EU) 2021/1165 के अनुलग्नक III के भाग B में तकनीकी योजकों के अंतर्गत एक बाइंडर और एंटीकेकिंग एजेंट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालाँकि, यूरोपीय संघ के फ़ीड योजकों के रजिस्टर में, इसे इमल्सीफाइंग और स्थिरीकरण एजेंट, गाढ़ा करने वाले और जेलिंग एजेंट के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। इस त्रुटि को ठीक करने की आवश्यकता है।
- (11) टैल्क ई 553बी को आयोग विनियमन (ईसी) संख्या 889/2008 द्वारा पादप मूल के खाद्य पदार्थों में खाद्य योज्य के रूप में अधिकृत किया गया था^(१)। यह प्रयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 के अनुलग्नक V में शामिल नहीं था। इस त्रुटि को ठीक करने की आवश्यकता है।
- (12) इसलिए कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 को तदनुसार संशोधित और सही किया जाना चाहिए।
- (13) टैल्क ई 553बी को खाद्य योज्य के रूप में शामिल करने की सीमा गलती से सीमित कर दी गई थी और हो सकता है कि कुछ जैविक संचालकों ने पादप मूल के खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग खाद्य योज्य के रूप में जारी रखा हो। इसलिए, इस त्रुटि को कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 के लागू होने की तिथि से पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाना चाहिए।
- (14) इस विनियमन में दिए गए उपाय जैविक उत्पादन समिति की राय के अनुसार हैं,

(१) खाद्य VII - फ़ीड V पर EGTOP अंतिम रिपोर्ट और फ़ीड VI और पालतू भोजन I पर EGTOP अंतिम रिपोर्ट: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(२) फ़ीड III - खाद्य V पर ईजीटीओपी अंतिम रिपोर्ट: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en।

(३) 5 सितम्बर 2008 का आयोग विनियमन (ईसी) संख्या 889/2008, जिसमें जैविक उत्पादन, लेबलिंग और नियंत्रण के संबंध में जैविक उत्पादों के जैविक उत्पादन और लेबलिंग पर परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम निर्धारित किए गए हैं (ओजे एल 250, 18.9.2008, पृष्ठ 1)।

इस विनियमन को अपनाया गया है:

अनुच्छेद 1

कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 में संशोधन

कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: (1)

अनुबंध I को इस विनियमन के अनुबंध I के अनुसार संशोधित किया गया है;

(2) इस विनियमन के अनुबंध II के अनुसार अनुबंध II को संशोधित किया गया है;

(3) इस विनियमन के अनुबंध III के अनुसार अनुबंध III को संशोधित किया गया है;

(4) इस विनियमन के अनुबंध IV के अनुसार अनुबंध V को संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद 2

कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 में सुधार

कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(1) अनुलग्नक III के भाग बी के बिंदु (1) (तकनीकी योजक) को निम्नानुसार सही किया जाता है:

(क) बिन्दु (ग) में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाती है:

'ई412	ग्वार गम'
-------	-----------

(ख) बिन्दु (घ) में, 'ई 412 ग्वार गम' की प्रविष्टि हटा दी गई है;

(2) अनुलग्नक V में भाग ए के खंड ए1 (खाद्य योजक, वाहक सहित) में, 'ई 553बी टैल्क' के लिए प्रविष्टि निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है:

ई 553बी	तालक	पादप मूल के उत्पाद, मांस पर आधारित सॉसेज	मांस आधारित सॉसेज के लिए, केवल सतही उपचार
---------	------	---	---

अनुच्छेद 3

लागू होना और लागू होना

यह विनियमन इसके प्रकाशन के अगले बीसवें दिन से लागू होगा। यूरोपीय संघ का आधिकारिक रोज़नामचा।

अनुच्छेद 2(2) 5 अगस्त 2021 से लागू होगा।

यह विनियमन सम्पूर्ण रूप से बाध्यकारी होगा तथा सभी सदस्य राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होगा।

ब्रुसेल्स में 17 जनवरी 2023 को सम्पन्न हुआ।

आयोग के लिए
अध्यक्ष
उर्सुला वॉन डेर लेयेन

अनुलग्नक I

कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 के अनुलग्नक I को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(1) बिंदु 1 (मूल पदार्थ) में '18सी सरसों के बीज पाउडर *' प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि डाली जाती है:

'19सी	14807-96-6	मैग्नीशियम हाइड्रोजन मेटासिलिकेट सिलिकेट खनिज (टैल्क E553b)	आयोग विनियमन (ईयू) संख्या 231/2012 (*) के अनुरूप खाद्य ग्रेड
-------	------------	---	---

(*) आयोग विनियमन (ईयू) संख्या 231/2012 दिनांक 9 मार्च 2012, जिसमें अनुलग्नक II और III में सूचीबद्ध खाद्य योजकों के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईसी) संख्या 1333/2008 (ओजे एल 83, 22.3.2012, पृष्ठ 1)।'

(2) बिंदु 2 (कम जोखिम वाले सक्रिय पदार्थ) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी गई हैं:

'16डी	कैस आबटित	नहीं	एबीई-आईटी 56 (लाइसेट के घटक) सैकरोमाइसिस सेरेविसियास्ट्रेन DDSF623)	GMO मूल से नहीं GMO मूल के बढ़ते मीडिया का उपयोग करके उत्पादित नहीं किया गया है'
20 डी	10058-44-3		फेरिक पाइरोफॉस्फेट	
28 डी			मीठे के अंकुरित बीजों से जलीय अर्कल्यूपिनस एल्बस	

(3) बिंदु 4 (सक्रिय पदार्थ जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं हैं) में '40ए डेल्टामेथ्रिन' प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'40ए	52918-63-5	डेल्टामेथ्रिन	केवल विशिष्ट आकर्षण वाले जाल में बैक्ट्रोसेरा ओलिया, सेराटाइटिस कैपिताटा और रागोलेटिस कमप्लीटा'
------	------------	---------------	---

अनुलग्नक II

कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 के अनुलग्नक II की तालिका में, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी गई हैं:

'पुनर्प्राप्त स्ट्रुवाइट और अवक्षेपित फॉस्फेट लवण	उत्पादों को विनियमन (ईयू) 2019/1009 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा स्रोत सामग्री के रूप में पशु खाद का कारखाना कृषि से कोई संबंध नहीं हो सकता
सोडियम नाइट्रेट	केवल बंद प्रणालियों में भूमि पर शैवाल उत्पादन के लिए
पोटेशियम क्लोराइड (पोटाश का म्यूरेट)	केवल प्राकृतिक उत्पत्ति का'

अनुलग्नक III

कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 के अनुलग्नक III को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(1) भाग ए में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

(क) बिंदु (1) में, प्रविष्टि '11.3.1 डाइकैल्शियम फॉस्फेट' के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि डाली जाती है:

'11.3.2	मोनोडिकैल्शियम फॉस्फेट'	
---------	-------------------------	--

(ख) बिंदु (1) में, प्रविष्टि '11.3.17 मोनोअमोनियम फॉस्फेट' के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाती हैं:

'11.3.19	पेटासोडियम ट्राइफॉस्फेट (STPP)	केवल पालतू जानवरों के भोजन के लिए
11.3.27	डिसोडियम डाइहाइड्रोजन डाइफॉस्फेट (SAPP)	केवल पालतू जानवरों के भोजन के लिए'

(ग) बिंदु (2) में, 'उदाहरण 12.1.5 यीस्ट' और 'उदाहरण 12.1.12 यीस्ट उत्पाद' के लिए प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'12.1.5	खमीर	जब जैविक उत्पादन से उपलब्ध न हो
12.1.12	खमीर उत्पादों	जब जैविक उत्पादन से उपलब्ध न हो'

(2) भाग बी में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

(क) बिंदु (1)(सी) (पायसीकारक, स्थिरक, गाढ़ा करने वाले और जेलिंग एजेंट) में, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाती हैं:

'ई 407	carrageenan	केवल पालतू जानवरों के भोजन के लिए
ई 410	टिड्डी बीन गम (कैरोब गम)	केवल पालतू जानवरों के भोजन के लिए यदि उपलब्ध हो तो केवल जैविक उत्पादन से भूनने की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है
ई 414	बबूल (अरबी गोद)	केवल पालतू जानवरों के भोजन के लिए यदि उपलब्ध हो तो जैविक उत्पादन से
ई 415	जिंक गम	

(ख) बिंदु (1)(घ) (बाइंडर और एंटी-केकिंग एजेंट) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कोड की संख्या के क्रम में डाली जाती हैं:

'ई 563	सेपियोलेटिक मिट्टी	
1जी599	इलाइट-मोटमोरिलोनाइट-काओलिनाइट'	

(c) बिंदु (1) में, एक नया बिंदु (f) और निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाती है: '(f)

माइकोटॉक्सिन द्वारा चारे के संदूषण को कम करने के लिए पदार्थ

आईडी नंबर या कार्यात्मक समूह	नाम	विशिष्ट शर्तें और सीमाएँ
1मी558	बेटोनाइट'	

(घ) बिंदु (3)(ए) (विटामिन, प्रो-विटामिन और समान प्रभाव वाले रासायनिक रूप से सुपरिभाषित पदार्थ) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

(i) 'ex3a विटामिन और प्रोविटामिन' के लिए प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि डाली जाती है:

'3a370	बैल की तरह	केवल बिल्लियों और कुत्तों के लिए यदि उपलब्ध हो तो सिंथेटिक मूल से नहीं'
--------	------------	--

(ii) '3a920 बीटाइन एनहाइड्रस' प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'3a920	बीटाइन निर्जल	केवल मोनोगैस्ट्रिक जानवरों और मछलियों के लिए जैविक उत्पादन से; यदि उपलब्ध न हो तो प्राकृतिक उत्पत्ति से'
--------	---------------	---

(ई) बिंदु (4) (जूटेक्निकल एडिटिव्स) में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी गई है:

'4d7 और 4d8	अमोनियम क्लोराइड	केवल बिल्लियों के लिए
-------------	------------------	-----------------------

अनुलग्नक IV

कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1165 के अनुलग्नक V के भाग ए को निम्नानुसार संशोधित किया गया

है: (1) खंड ए1 (खाद्य योजक, वाहक सहित) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(क) 'ई 418 गेलन गम' के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी:

'ई 418	गेलन गम	पौधे और पशु मूल के उत्पाद	केवल उच्च-एसाइल रूप केवल जैविक उत्पादन से, 1 जनवरी 2026 से लागू'
--------	---------	---------------------------	---

(ख) 'ई 551 - सिलिकॉन डाइऑक्साइड' प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'ई 551	सिलिकॉन डाइऑक्साइड	कोको, जड़ी-बूटियाँ और मसाले सूखे पाउडर के रूप में स्वादिला बनाने में एक प्रकार का पौधा	कोको के लिए, केवल स्वचालित वितरण मशीनों में उपयोग के लिए'
--------	--------------------	--	--

(2) खंड ए2 (प्रसंस्करण सहायक सामग्री और अन्य उत्पाद, जिनका उपयोग जैविक उत्पादन से कृषि मूल के अवयवों के प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है) में, हॉप अर्क और पाइन रोसिन अर्क के लिए प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'हॉप एक्सट्रैक्ट	पौधों से प्राप्त उत्पादों	केवल जैविक उत्पादन से रोगाणुरोधी प्रयोजनों के लिए, यदि उपलब्ध हो'
------------------	---------------------------	--

'पाइन रोसिन अर्क	पौधों से प्राप्त उत्पादों	केवल जैविक उत्पादन से रोगाणुरोधी प्रयोजनों के लिए, यदि उपलब्ध हो'
------------------	---------------------------	--